

18.12.18

वकील अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित
नहीं है। अपी. को कार कार आवेजें दिखाई
गई। अपी. की ऑर से कोई उपस्थित नहीं
आया। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजरी
व अदम तमील व अदम पेशी में खारिज
की जाती है। यत्रावली फरखल कुमार होकर काड
तकमील जाता दाखिल इफ्त र हो।

संभागीय आयुक्त

भरतपुर, कैथ सवाई माधोपुर